अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2018(RCMS : 2018/00127) अजहर जावेद, प्लॉट नं. 11–12, आकाशवाणी के पीछे, बजरिया, सवाईमाधोपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर (स्थापना), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अजहर जावेद स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (स्थापना) द्वारा प्रतिवेदन 8614 दिनांक 13.08.2018 प्रस्तुत किया गया, जो शामिल किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उसने दिनांक 13.06.2018 को सूचनाएं मांगने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संदर्भ में उसे यह कहते हुए सूचनाएं देने से मना कर दिया कि उक्त वांछित सूचनाऐं तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित है। प्रार्थी द्वारा अन्य जिलों से भी उक्त सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई है तथा सभी जिलों से सूचनाएं प्रदान की जा चुकी है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उसे सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी अजहर जावेद ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर (स्थापना), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान करने की कृपा करें : 1. आपके जिले में कार्यरत राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कितने अधिकारी कार्यरत है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। 2. आपके जिले में राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कार्यरत अधिकारियों को तत्समय जुलाई 2017 में दी गई वेतन वृद्धि के आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। 3. आपके जिले में राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कार्यरत अधिकारियों में से कितने अधिकारियों के 7 वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा चुका है तथा आपके द्वारा उक्त अधिकारियों के 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत किये गये वेतन स्थरीकरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को पत्रांक 7550 दिनांक 13.07.2018 से निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :

सा०/-
जिला कलैक्टर,
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना का जवाब निम्न प्रकार प्रेषित है :

आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1. आपके जिले में कार्यरत राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कितने अधिकारी कार्यरत है। प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में आप द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक है। अतः सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।
2. आपके जिले में राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कार्यरत अधिकारियों को तत्समय जुलाई 2017 में दी गई वेतन वृद्धि के आदेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें।	बिन्दु संख्या 02 के संबंध में चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना है, जिसमें कोई लोक हित भी दिखाई नहीं देता है। अतः वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।
3. आपके जिले में राजस्थान तहसीलदार सेवा के तहसीलदार पद पर कार्यरत अधिकारियों में से कितने अधिकारियों के 7 वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा चुका है तथा आपके द्वारा उक्त अधिकारियों के 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत किये गये वेतन स्थरीकरण की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें	बिन्दु संख्या 03 के संबंध में चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक है, तथा तृतीय पक्षकार से संबंधित व्यक्तिगत सूचना है। जिसमें कोई लोक हित भी दिखाई नहीं देता है। अतः वांछित सूचना नियमानुसार देय नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने द्वारा की गई कार्यवाही को विधि सम्मत ठहराने हेतु मुख्य सूचना आयोग की अपील संख्या 2653/2012 में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2013 को आधार बनाया है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 03 में निम्न प्रकार से तय किया गया है :

> पैरा संख्या 3. : मैन पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने 2 बिन्दुओं की सूचना चाही थी, बिन्दु संख्या 01 के अनुसार शिक्षा विभाग माध्यमिक में द्वितीय वेतन श्रृंखला कि अध्यापकों से सम्बन्धित स्थानान्तरण नीति की छाया प्रति एवं बिन्दु संख्या 2 से श्री नोपाराम, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू की सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली की प्रति चाही थी। बिन्दु संख्या 01 की सूचना अपीलार्थी को दिनांक 12.07.2012 को भिजवाई जा चुकी है, और बिन्दु संख्या 02 की सूचना इसलिए प्रदान नहीं की गई कि वह उनके यहा संधारित नहीं है। श्री श्रीकान्त पाण्डया बनाम मध्य प्रदेश सरकार (AIR 2011 MP(4)) के प्रकरण के अनुसार सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(i) से वर्जित माना है। अपील में ऐसा कोई व्यापक लोकहित के कारण भी नहीं दर्शाये हैं, अतः यह सूचना इस आलोक मे अपील में कोई कार्यवाही की जाना अवशेष नहीं रहने से खारिज करने योग्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और

सा/-

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए और तृतीय पक्ष की व्यक्तिगत सूचना नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 13.07.2018 सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर